भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1897
30 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

मुंबई में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करना

1897. **श्री संजय दिना पाटील:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन, निर्यात और फसल पश्चात् होने वाले नुकसान को कम करने के संबंध में मुंबई और मुंबई महानगरीय क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, शीत-श्रृंखला सुविधाओं, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और मुंबई को लाभान्वित करने वाली संभार तंत्र अवसंरचना के लिए स्वीकृत परियोजनाओं, जारी की गई वित्तीय सहायता और निर्मित की गई अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मुंबई में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रभावित करने वाली भूमि की उपलब्धता, भंडारण, प्रसंस्करण क्षमता, खाद्य सुरक्षा और बाजार तक पहुंच से जुड़ी कमियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुंबई में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ करने, स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने और मूल्यवर्धन में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर की पहचान करने और विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए फसलोत्तर नुकसान का अनुमान लगाने के लिए समय-समय पर विभिन्न मूल्यांकन किए हैं। ये मूल्यांकन मुंबई सहित देश भर में प्राथमिक डेटा संग्रह पर आधारित हैं और खाद्य प्रसंस्करण और फसलोत्तर नुकसान के स्तर का फसल-वार अनुमान प्रदान करते हैं। प्रसंस्करण के अनुमानित स्तर का विवरण, जैसा कि क्रिसिल लिमिटेड द्वारा वर्ष 2026 में किए गए नवीनतम अध्ययन "भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को निर्धारित करने के लिए अध्ययन" (संदर्भ वर्ष 2024-25) में बताया गया है, साथ ही मंत्रालय द्वारा करवाए गए पिछले दो अध्ययनों, अर्थात् (i) आईसीएआर-केंद्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी), 2015 (संदर्भ अवधि वर्ष 2012-14) और(ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स), 2022 (संदर्भ अवधि वर्ष 2020-22) में आकलित विभिन्न कृषि वस्तुओं के फसल और फसलोत्तर अनुभाग **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की अंब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत, मंत्रालय प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना की सुविधाएं बनाने, खेत से खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने, फसलोत्तर नुकसान को कम करने और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में

वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं, स्वीकृत परियोजनाओं के विवरण और महाराष्ट्र में पूर्ण परियोजनाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण हेतु जारी वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

योजना*	**अनुमत/ स्वीकृत परियोजनाएँ**	**पूर्ण / परिचालन परियोजनाएँ**	**परियोजना लागत (करोड़ में)$**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ में)$**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ में)$**	**कोल्ड स्टोरेज/फ्रोजन स्टोरेज/सीए/एमए की संख्या**
एपीसी	12	5	152.03	47.31	40.41	10
बीएफएल #	10	9	107.44	23.92	22.87	5
सीसी	77	59	1605.59	397.82	397.76	82
सीईएफपीपीसी	96	61	862.41	218.47	207.85	0
एफटीएल	31	27	136.95	46.23	46.23	0
एमएफपी #	3	2	263.85	96.73	91.73	4
ओजी	6	4	126.98	37.32	37.32	10
आर एंड डी	21	21	10.17	9.83	8.89	0
कौशल	4	4	2.41	1.17	1.17	0
उप-योग	**260**	**192**	**3267.83**	**878.80**	**854.22**	**111**

दिनांक 30.06.2026 तक

*एपीसी - कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना का सृजन; बीएफएल-बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज; सीसी- एकीकृत शीत शृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना; सीईएफपीपीसी - खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार; एफटीएल- खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ; एमएफपी - मेगा फूड पार्क; ओजी - ऑपरेशन ग्रीन्स; अनुसंधान एवं विकास – (आर एंड डी)

#योजनाएँ दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दी गई हैं।

$ पूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

मुंबई में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अवसंरचना के निर्माण के लिए पूर्ण की गई परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए मंत्रालय समय-समय पर हितधारकों के साथ परामर्श कर रहा है। ऐसे परामर्शों से अवसंरचना की स्थापना की उच्च लागत, लॉजिस्टिक्स व्यय, ऊर्जा लागत, भंडारण की कमी और आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताओं आदि जैसे मुद्दों का संकेत मिलता है, जो देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) जैसी विभिन्न पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र और संपूर्ण विकास का लक्ष्य रखता है। एमओएफपीआई उपर्युक्त योजनाओं के विभिन्न घटकों के अंतर्गत , मुंबई सहित देश भर में खेत से लेकर रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निर्मित अवसंरचना और प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य किसानों को बेहतर प्रतिफल दिलाना, रोजगार के अवसर सृजित करना, नुकसान को कम करना और प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना है।

मंत्रालय देश भर में क्षेत्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों और प्रचार कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उद्योग संघों को सहायता प्रदान कर रहा है। ये मंच भारत में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी प्रसारित करने, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रगतिशील नीतिगत पहलों और सुधारों को उजागर करने, और सरकार और उद्योग के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

इस पहुँच को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय 'वर्ल्ड फूड इंडिया' का आयोजन करता है, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह एमएसएमई के लिए अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को वैश्विक निवेशकों, बहुराष्ट्रीय निगमों, घरेलू उद्यमों, नीति निर्माताओं और अन्य प्रमुख हितधारकों के विविध दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच है। इस आयोजन ने व्यावसायिक नेटवर्किंग, निवेश प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी विनिमय को सुगम बनाया है और प्रतिभागियों को बाज़ार पहुँच प्रदान की है।

अनुबंध- I

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु "मुंबई में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1897 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

तालिका-1: भारत में प्रसंस्करण का स्तर (%)

श्रेणी/वस्तु	**क्रिसिल अध्ययन***
	2022-23
धान	76.0%
गेहूँ	78.0%
मोटे अनाज	82.0%
अनाज (कुल मिलाकर)	77.6%
चना	65.0%
अरहर	71.0%
अन्य दालें	76.0%
दालें (कुल मिलाकर)	69.0%
खाद्यान्न	77.0%
मूंगफली	78.0%
सरसों	77.0%
अन्य तिलहन	74.0%
तिलहन (कुल मिलाकर)	76.0%
फल	17.0%
आलू और प्याज	20.0%
कुल सब्जियां	14.0%
कुल फल और सब्जियां	16.0%
दूध	58.0%
अंडे और मुर्गी पालन	18.0%
मांस	41.0%
मछली	23.0%
चाय	93%
कॉफी	96%
मसाले	59%
गन्ना	87.0%

** भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर का निर्धारण करने के लिए अध्ययन* क्रिसिल , *वर्ष 2026*

<u>तालिका 2: प्रमुख फसलों और वस्तुओं का फसलोत्तर नुकसान</u>

फसलें/वस्तुएं	**हानि प्रतिशत में**	
	आईसीएआर- सीफेट अध्ययन (वर्ष 2015) के अनुसार*	**नैबकोंस अध्ययन (वर्ष 2022) के अनुसार****
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
बागान फसलें और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
मुर्गी पालन	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

स्रोत: *भारत में प्रमुख फसलों और वस्तुओं की मात्रात्मक कटाई और फसलोत्तर नुकसान के मूल्यांकन पर रिपोर्ट,वर्ष 2015.

** नैबकोंस अध्ययन वर्ष 2022

अनुबंध- II

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु "मुंबई में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1897 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

मुंबई में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं की जानकारी

क्र.सं.	योजना	परियोजना का नाम	पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की परियोजना लागत	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)
1	**सीसी***	सावला फूड्स एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	27	7.2	7.2
2	**सीसी**	कूल सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	64.9	9.25	9.25
3	एफटीएल**	माइक्रोकेम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	4.21	1.36	1.3559028
4	एफटीएल	जियोकेम लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	8.38	2.01	2.00675
5	एफटीएल	आरसीए प्रयोगशालाएँ	6.56	1.92	1.9223
6	एफटीएल	टेस्टटेक्स इंडिया लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	5.95	2.36	2.3613
7	एफटीएल	जुबिलेंट फार्मा और केमिकल लैब	3.34	0.89	0.887075
8	एफटीएल	बॉम्बे टेस्ट हाउस	6.15	0.5	0.5
9	आर एंड डी ***	सेब के रस का नवीन, गैर-तापीय ऊर्जा कुशल, औद्योगिक रूप से स्केलेबल हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन प्रसंस्करण, जो पोषण संबंधी बायोएक्टिव्स को बढ़ाता है और शेल्फ लाइफ बढ़ाता है (आईसीटी, मुंबई)	0.44	0.44	0.37
10	आर एंड डी	खाद्य क्षेत्र में बेहतर अनुप्रयोग के लिए प्राकृतिक पॉलिमर-स्टार्च का संशोधन (आईसीटी, मुंबई)	0.33	0.33	0.31
11	आर एंड डी	अल्प उष्णकटिबंधीय फलों से पेय पदार्थों का एकीकृत प्रसंस्करण: प्रक्रिया अनुकूलन और शेल्फ-लाइफ विस्तार (आईसीटी, मुंबई)	0.36	0.36	0.26
12	आर एंड डी	ग्रामीण बाज़ार के लिए कच्चा नारियल पानी का प्रसंस्करण और पैकेजिंग (आईआईपी मुंबई)	0.4666	0.4666	0.3158
कुल			**128.08**	**27.08**	**26.73**

***: सीसी- एकीकृत शीत शृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना;**

****: एफटीएल- खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं;**

*****: अनुसंधान एवं विकास – (आर एंड डी)**